25/3/22

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल वाद में निर्णय हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाया जाना कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली को भी लि. पर खारीज की जाकर दर्ज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:08:02 IST
Reason: SelfAttested